



संख्या:

१४७४ / एडीए

दिनांक: २१.६.२०२३

## कार्यालय आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, आजमगढ़ !

### ई-निविदा सूचना

आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के प्राधिकरणों / उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लो0नि0वि0, आर0ई0एस0 एवं अन्य सरकारी विभागों / नगर निकायों / जिला पंचायतों में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत व अनुभवी ठेकेदारों / फर्मों जिन्हें सिविल निर्माण कार्य का अनुभव हो से टू-बिड पद्धति पर कम्पोजिट विद्यालय, कोटवां एवं सिधारी के रेनोवेशन कार्य हेतु आन-लाईन ई-निविदा <https://etender.up.nic.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं की तकनीकी विड उपस्थित निविदादाताओं / उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यालय आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, आजमगढ़ में दिनांक ५.०७.२०२३ को अपराह्न १७:३० बजे खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदारों / फर्मों हेतु ई-निविदा डाउनलोड प्रारम्भ होने तथा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	तकनीकी विड खोलने की तिथि व समय	वित्तीय विड खोलने की तिथि व समय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	कम्पोजिट विद्यालय कोटवां, आजमगढ़ के रेनोवेशन का कार्य	वी.ओ. क्यू के अनुसार	7.16	0.15	2500.00 + 18% GST	02 माह	दिनांक 26.०६.२०२३ को १७:०० बजे से दिनांक ०५.०७.२०२३ को १७:०० बजे तक	दिनांक ०५.०७.२०२३ वा १७:३० बजे	दिनांक ०५.०७.२०२३ वा १७:३० बजे	तकनीकी विड खोलने के उपरान्त ई-टेंडर की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा
2	कम्पोजिट विद्यालय, सिधारी, आजमगढ़ के रेनोवेशन का कार्य			33.34	0.67	3500.00 + 18% GST	03 माह			

#### नियम व शर्तें:-

- निविदा की प्रोसेसिंग का मूल्य, धरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अलग-अलग निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत् है-
 

Name of A/c Holder : Secretary, Azamgarh Development Authority, Azamgarh  
 A/C No. : 50085044038  
 IFS Code : IDIB000A689  
 Name of Bank : INDIAN BANK, COLLECTORATE BRANCH, AZAMGARH.
- निविदा प्रपत्र / धरोहर धनराशि के मूल्य, से सम्बन्धित आर0टी0जी0एस0 का यूटीआर के नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।
- निविदा वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध रहेगी। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई वदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार / फर्मों द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती है।
- निविदा प्रपत्र के साथ रु0 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टॉम्प पेपर जो निविदादाताओं के नाम से क्रय किया हो व रु0 1.00 का रेवेन्यू स्टॉम्प संलग्न करना आवश्यक है, जिस पर ठेकेदार के मानक हस्ताक्षर देने होंगे।
- ठेकेदार के बिना हस्ताक्षर युक्त निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
- संशर्त अथवा किसी भी रूप में अधूरी निविदायें मान्य नहीं होंगी एवं निरस्त मानी जायेंगी।

20/6/2023  
AE

20/6/2023

21/6/2023

7. ई-निविदा पत्रों में उल्लिखित सभी शर्तें निविदादाता को मान्य होगी।
8. अकेले (एकल) निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि निविदा की कीमत भरने से पूर्व कार्य एवं कार्य क्षेत्र देख लें।
10. यदि ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा कोई नुकसान होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।
11. यदि ठेकेदार तथा विभाग के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होगा तो ऐसे विवाद के निर्णय हेतु आजमगढ़ विकास प्राधिकरण एवं उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्त आर्बीटर ही निर्णय करेंगे। आर्बीटर का निर्णय अन्तिम होगा तथा निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
12. विभाग को कार्यहित में किसी भी समय ठेका समाप्त करने/ठेके का समय बढ़ाने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. यदि कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो विभाग द्वारा नोटिस के 15 दिन बाद तक भी कार्य सन्तोषजनक नहीं किया गया तो असन्तोषजनक कार्य डेविटेविल एजेंसी से बाजार दर पर करा दिया जायेगा, जिसका भुगतान ठेकेदार के बिल से काट लिया जायेगा।
14. कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना एवं ठेकेदार व लेवर के बीच के विवाद का समाधान स्वयं ठेकेदार को करना होगा। विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. उ०प्र० भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनिमय (2)24के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेवर सेस की कटौती की जायेगी।
16. निविदाओं की बी0ओ0ब्लू में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार / फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों / फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य न होगा।
17. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे एवं उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय ₹0 10/- के नान ज्यूडिशियल शपथ स्टाम्प पेपर पर देना होगा।
18. निविदादाताओं / फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राशीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में जो संबंधित खण्ड के सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, आजमगढ़ के पक्ष में बंधक हो जमा करती होगी।
19. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार / फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाएगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
20. निविदादाता / फर्म द्वारा दिये गये दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी / गलत दस्तावेज की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
21. निविदादाता फर्म का वाणिज्यकर विभाग में ₹0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
22. फर्म के सभी देयकों से सभी प्रकार के टैक्सों जैसे- आयकर, लेवरसेस, आदि जो उ०प्र० सरकार द्वारा लागू किया जाता है, से सम्बन्धित आवश्यक कटौती की जायेगी।
23. शासन द्वारा निर्धारित ₹0एस0टी0 हेतु नियमानुसार व्यवहारित किया जायेगा।
24. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदादाते अगले कार्य दिवसों को खोली जायेगी।
25. शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि तीन वर्ष होगी एवं कराये गये कार्यों में यदि गुणवत्ता खराब, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यों की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
26. निविदादाता द्वारा कार्य स्थल पर ₹0पी0एस0 लोकेशन सहित अपनी फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से ई-निविदा के साथ अपलोड करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
27. ₹0पी0डब्लू फार्म-9 अनुबन्ध का हिस्सा होगा।

३०  
नवंबर  
AE

१००८२०१८

१०

28. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार / फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
29. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर निविदा की दर कम (Below) दर के लिए मान्य होगी एवं शासनादेश सं0- 522/23-12-2012-2 आडिट / 08 ई0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 से Below दर देने पर ठेकेदार द्वारा (Performance Security Deposit) अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।
- (अ) 10% Below दर तक 0.50% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।
- (आ) 10% से अधिक Below दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।
30. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
31. कार्य के पूर्ण होने पर उक्त को सम्बन्धित विभाग को सन्तोषजनक स्थिति में हस्तानान्तरित कराने का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार / फर्म का होगा।
32. निविदादाता द्वारा दी गयी दर 1% लेवर सेस सहित मानी जायेगी।
33. वित्तीय बिड कार्यालय आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, आजमगढ़ में खोली जायेगी जिसकी तिथि व समय ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से अवगत करायी जायेगी।
34. निविदादाता द्वारा आमन्त्रित ई-निविदा हेतु अनुभव प्रमाण पत्र (Proof of previous experience) निम्नवत् संलग्न करना होगा :—
- (1) Experience of having successfully completed works during the last 7 years ending last day of the month previous to the one in which applications are invited with Govt./Semi Govt./ PSU only:  
Three similar completed works costing not less than the amount equal to 40% of estimated cost put to tender
- Or
- Two similar completed works costing not less than the amount equal to 60% of estimated cost put to tender
- Or
- One similar completed works of aggregate cost not less than the amount equal to 80% of estimated cost put to tender
- (2) Experience of having successfully completed works during the last 7 years ending last day of the month previous to the one in which applications are invited:
- (3) **For Similar of works:-**  
Experience in only construction of road, building construction, drain, boundary wall, footpath, interlocking tiles , road resurfacing, central verge, C.C. road, box culvert related works will be acceptable .

20/6/2013  
AE

20/6/2013  
AB

21.6.2023  
सचिव  
आजमगढ़ विकास प्राधिकरण  
आजमगढ़ ।